हुक्म का कार्यवाही इनिशियल्स जज	नंबर व ताराख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/22 वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र 212 RTA के तहत पेश किया गया प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर होवे अपीलिगण की तलबी नीमे रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रार्थी द्वारा तलबात प्रस्तुत करने पर जारी होवे। पत्रावली दिनांक 18.7.22 को पेश हो आज यह पत्रावली पेश हुई प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र पेश की राजस्व वादी विद्या किया जाने बाबत निवेदन करने पर राजस्व विद्या किया जाता है अतः राजस्व वादी विद्या होने पर प्रा0पत्र 212 RTA का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रा0पत्र 212 RTA को Stage पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर खातमा मूल बाद हो	नरवनसिंह ASJ

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.